भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

<u>राज्य सभा</u>

<u>अतारांकित प्रश्न सं. 2466</u>

(जिसका उत्तर मंगलवार, 10 अगस्त, 2021/19 श्रावण, 1943 (शक) को दिया जाना है)

"कोविड-19 संबंधी आवश्यक चिकित्सीय उत्पादों पर माल और सेवा कर (जीएसटी)"

2466 श्री नीरज डांगी:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान ऑक्सीन, वेंटीलेटर, टीकों और दवाइयों जैसे आवश्यक चिकित्सीय उत्पादों पर माल और सेवा कर (जीएसटी) लगाया था;
(ख) ऐसी मदों पर माल और सेवा कर (जीएसटी) का प्रतिशत क्या है;
(ग) जीवन रक्षक दवाइयों और उपकरणों पर माल और सेवा कर (जीएसटी) लगाए जाने के क्या कारण है;
(घ) क्या सरकार महामारी से लड़ने में उपयोग की जा रही सभी जीवन रक्षक दवाइयों और उपकरणों से माल और सेवा कर (जीएसटी) हटाने की मंशा रखती है; और
(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (ङ): माल या सेवाओं की आपूर्ति पर जीएसटी दरें जीएसटी परिषद की सिफारिश पर निर्धारित की जाती हैं जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री और सभी राज्य सरकारों के मंत्री शामिल होते हैं। कोविड राहत मदों जैसे ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, निर्दिष्ट दवाएं, परीक्षण किट आदि पर, 30 सितंबर, 2021 तक की अवधि के लिए इस परिषद की सिफारिश पर जीएसटी दरों में काफी कमी की गई है। इन मदों की सूची, जीएसटी दरें लागू होने के साथ, अनुलग्नक पर है

अनुलग्नक

कोविड राहत सामग्री जिस पर जीएसटी की दर कम की गई है

क्र.सं.	विवरण	से	तक
क. दवाएं			
1.	टोसीलिज़ुमैब	5%	शून्य
2.	एम्फ़ोटेरिसिन बी	5%	शून्य
3.	एंटीकोआगुलंट्स जैसे हेपरिन	12%	5%
4.	रेमेडिसविर	12%	5%
ख ऑक्सीजन, ऑक्सीजन उत्पादन उपकरण और संबंधित चिकित्सा उपकरण			
1.	मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन	12%	5%
2.	व्यक्तिगत आयात सहित ऑक्सीजन सांद्रक/जनरेटर,	12%	5%
3.	वेंटिलेटर	12%	5%
4.	वेंटिलेटर मास्क / कैनुला / हेलमेट	12%	5%
5.	बीआईपीएपी मशीन	12%	5%
6.	हाई फ्लो नेज़ल कैनुला (एचएफएनसी) डिवाइस	12%	5%
ग परीक्षण किट और मशीनें			
1.	कोविड परीक्षण किट	12%	5%
2.	निर्दिष्ट इन्फ्लैमेटरी डायग्नोस्टिक किट, अर्थात् डी-डिमर, आईएल -6, फेरिटिन और एलडीएच	12%	5%
घ. अन्य कोविड-**19** संबंधित राहत सामग्री			
1.	पल्स ऑक्सीमीटर, इसके व्यक्तिगत आयात सहित	12%	5%
2.	हैंड सैनिटाइजर	18%	5%
3.	तापमान जांच उपकरण	18%	5%
4.	श्मशान के लिए गैस/इलेक्ट्रिक/अन्य भट्टियां, उनकी स्थापना सहित, आदि।	18%	5%
5.	एंबुलेंस	28%	12%

उपर्युक्त रियायतें 30 सितंबर, 2021 तक प्रभावी हैं और इसमें शामिल हैं।

*****